न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

. पीठासीन अधिकारी :– सुश्री बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 42/2019 ई.रे.

1. श्री होमसिंह पिता श्री काना मीणा निवासी रेला तहसील बडीसादडी
2. श्री नाथू पिता श्री वक्ता मीणा निवासी रेला तहसील बडीसादडी
3. श्री डालीबाई पिता श्री वक्ता मीणा निवासी रेला तहसील बडीसादडी
4. श्रीमती एलकीबाई पिता श्री वक्ता मीणा निवासी रेला तहसील बडीसादडी
5. श्री उदयसिंह पिता श्री गुन्दा मीणा निवासी रेला तहसील बडीसादडी
6. श्री बाबरी पिता श्री गुन्दा मीणा निवासी रेला तहसील बडीसादडी जिला

– वादीगण

बनाम

1. श्री देवीसिंह पिता काना मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
2. श्री रामचन्द्र पिता धनसिंह मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
3. श्रीमती सुगना पिता धनसिंह मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
4. श्रीमती लक्ष्मी पिता धनसिंह मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
5. मु0 पेपली पत्नी धनसिंह मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
6. श्री बाबूसिंह पिता काना मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
7. श्री भैरूसिंह पिता नन्दा मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
8. श्री बालूसिंह पिता नन्दा मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
9. मु0 तुलसी बैवा नन्दा मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
10. श्री भैरूसिंह पिता रकबा मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
11. तहसीलदार भूमीधारी बडीसादडी

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधि.
वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1. श्री गजेन्द्र सिंह झाला अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

// निर्णय // दिनांक :– 01/09/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.12.12 15:25:24 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के कब्जे काश्त की पुश्तेनी पैतृक आराजियात मौजा मुझवा पटवार हल्का मूझवा तहसील बडीसादडी में स्थित होकर उक्त आराजियात के सेटलमेनट से पूर्व आराजी नम्बर 734 रकबा 5 बिघा 13 बिस्वा होकर सेटलमेन्ट के बाद उक्त नम्बर

सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी

परिवर्तीत होकर आराजी नम्बर 628 पडे हैं मिलान क्षैत्रफल वादपत्र के साथ सलंग्न है। उक्त आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी पैतृक होकर उक्त आराजीयात पुर्व में खाना जी तथा उनके बाद वादीगण के पूर्वजो गुन्दा, वगता,काना, के कब्जेयाबी व खातेदारी की होकर उनके नाम पर ही दर्ज रिकार्ड थी तथा वे काबिज होकर काश्त करते चले आरहे थे ।उपरोक्त आराजीयात विरासत से गुन्दा, वगता,काना, को प्राप्त हुई तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात वादीगण जो उनके विधिक वारीसान हैं को प्राप्त हुई तथा वादीगण सयुक्त रूप से काबिज होकर आराजीयात का उपयोग उपभोग करते चले आरहे है। तथा उक्त आराजी में काना के वारीस होम सिंह वादी का 1/3 हक तथा वगता के वारीसान का 1/3 हक व गुन्दा के वारीसान का 1/3 हक हिस्सा है। उक्त आराजी को लेकर प्रतिवादीगण से वादीगण का कब्जे व सीमा को लेकर विवाद हुआ तब खाते की नकल निकलवायी तो पता चला की उक्त आराजी गलत तरिके से प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज हैं तथा प्रतिवादीगण द्वारा आराजी अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं तथा उनका कहना हैं कि उक्त आराजी उनके द्वारा खरीद की गयी है। जबकि काना पिता नाथा द्वारा न तो कभी कोई आराजी विक्रय की गयी ना ही आराजी का पंजीयन कराया तथा जो जिस विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही की गयी उक्त विक्रयपत्र में भी काना पिता नाथा के द्वारा कोई आराजी विक्रय नही की गयी ना ही विक्रयपत्र का पंजीयन कराया फिर भी गलत तरिके से काना का हिस्सा 1/3 हक तक विक्रय ही नही हुआ वह प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम गलत तरिके से दर्ज कर दिया तथा अब उनके वारीसान उक्त नाम जो गलत तरिके से दर्ज हैं उसका नाजायज फायदा उठाकर आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। जिनका उनको कोई हक व अधिकार नही होकर वादी होमा अपने 1/3 हक हिस्से तक खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

उक्त आराजीयात वादीगण की पूश्तैनी पैतृक होकर वादी उदा व बाबरी गुन्दा के पुत्र पुत्री हैं तथा उनका उक्त आराजी में हक हिस्सा है। तथा वादी नाथू डालीबाई व एलकीबाई वगता की संन्तान होकर उनका भी सयुक्त रूप से आराजी में हक हिस्सा होकर उक्त आराजी पुश्तैनी होकर उनका जन्म से आराजी में हक व अधिकार हैं तथा गुन्दा व वगता को अकेले उक्त आराजी विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नही होकर वादीगण का उक्त आराजी में जन्म से हक हिस्सा होकर गुन्दा व वगता के द्वारा गलत तरिके से अपने हक से भी ज्यादा हक विक्रय कर दिया जबकि उक्त आराजी मे वादीगणो का जन्म से हक अधिकार होकर वादीगण नाथू डालीबाई व एलकीबाई प्रत्येंक का 1/12, 1/12 हक व उनके पिता वगता का भी 1/12 हक हिस्सा ही बनता था फिर भी उनके द्वारा अपना 1/3 हक बताकर विक्रय कर दिया जो वादीगणो के हीतो के मुकाबले शुन्य व निष्प्रभावी हैं तथा उदा व बाबरी का उक्त आराजी में 1/9,1/9 हक हिस्सा होकर गुन्दा का भी पुश्तैनी आराजी में 1/9 हक हिस्सा होकर गुन्दा द्वारा भी अपना 1/3 हक बताकर विक्रय कर दिया जो वादीगणो के हीतो के मुकाबले शुन्य व निष्प्रभावी हैं तथा वादीगण कमांक दो तीन चार नाथू डालीबाई व एलकीबाई प्रत्येंक अपना 1/12,1/12 हक हिस्सा उनकी खातेदारी में दर्ज घोषित कराने के अधिकारी है। तथा वादीगण कमांक पांच व छः उदा व बाबरी अपना 1/9,1/9 हक हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित कराने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं कि वादीगण के कब्जेयाबी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करे न करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.12.12 15:25:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

बाद जाँच प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड ई. रे. किया जाकर प्रतिवादीगण की नियमानुसार जरिए नोटीस तलब किया गया प्रतिवादीगण बाद तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही होने से प्रकरण में तनकियात कायम नही कर सिधे ही साक्ष्य वादी ली गयी तथा साक्ष्य वादी में गवाह होमसिंह, भगवाना,भेरा के बयान शपथ पत्र पर लेखबद्व कर प्रस्तूत किये गये दस्तावेज़ी साक्ष्य में जमाबन्दी व अन्य दस्तावेज प्रदर्श कराये गये और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य वादी समाप्त की गयी बहस एक तरफा वादी सुनी गयी।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी नामान्तरण से स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी पैतृक हैं तथा विक्रयपत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता हैं कि काना के द्वारा कोई विक्रयपत्र निष्पादित नही किया गया तथा उसके बावजूद नामान्तरण संख्या 255 खोला गया जो विधि विरूद्ध है क्योकि विक्रयपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि काना के द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन नही कराया गया हैं इससे स्पष्ट हैं कि बिना कब्जे व बिना दस्तावेज की जॉच के उक्त नामान्तरण खोला गया हैं तथा प्रतिवादीगण की ओर से भी कोई उपस्थित नही आया ना ही उनके द्वारा उक्त वाद का प्रतिवाद किया गया हैं ना ही कोई साक्ष्य खण्डन में प्रस्तुत की गयी है। वादीगण ने अपना वाद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से पुरी तरह से साबित किया हैं अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से डिकी जारी की जाती है।

मौजा मुझवा पटवार हल्का मूझवा तहसील बडीसादडी में स्थित आराजी नम्बर 628 रकबा 1.22 हैक्टयर लगानी 13 रू 42 पैसा में वादी होम सिंह पिता काना का 1/3 हक हिस्सा वादीगण उदा पिता गुन्दा बाबरी पिता गुन्दा का 1/9,1/9 हक हिस्सा तथा वादीगण नाथू पिता वगता डालीबाई व एलकीबाई पिता वगता का संयुक्त रूप 1/12,1/12,1/12 हक हिस्सा अनुसार खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वे वादीगण के कब्जेयाबी में दखल अन्दाजी न करे न करावे। तदअनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01/09/2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिन्दूबाला राजावत)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.12.12 16:25:24 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 42/2019 वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

1. श्री होमसिंह पिता श्री काना मीणा निवासी रेला तहसील बडीसादडी
2. श्री नाथू पिता श्री वक्ता मीणा निवासी रेला तहसील बडीसादडी
3. श्री डालीबाई पिता श्री वक्ता मीणा निवासी रेला तहसील बडीसादडी
4. श्रीमती एलकीबाई पिता श्री वक्ता मीणा निवासी रेला तहसील बडीसादडी
5. श्री उदयसिंह पिता श्री गुन्दा मीणा निवासी रेला तहसील बडीसादडी
6. श्री बाबरी पिता श्री गुन्दा मीणा निवासी रेला तहसील बडीसादडी जिला

– **वादीगण**

बनाम

1. श्री देवीसिंह पिता काना मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
2. श्री रामचन्द्र पिता धनसिंह मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
3. श्रीमती सुगना पिता धनसिंह मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
4. श्रीमती लक्ष्मी पिता धनसिंह मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
5. मु0 पेपली पत्नी धनसिंह मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
6. श्री बाबूसिंह पिता काना मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
7. श्री भैरूसिंह पिता नन्दा मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
8. श्री बालूसिंह पिता नन्दा मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
9. मु0 तुलसी बैवा नन्दा मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
10. श्री भैरूसिंह पिता रकबा मीणा निवासी मोटा महुडा तहसील बडीसादडी
11. तहसीलदार भूमीधारी बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील जी. एस. झाला तथा प्रतिवादीगण की ओर से x पार्टी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा मुझवा की आराजी नम्बर 628 रकबा 1.22 हैक्टयर लगानी 13 रू 42 पैसा में वादी होम सिंह पिता काना का 1/3 हक हिस्सा वादीगण उदा पिता गुन्दा बाबरी पिता गुन्दा का 1/9,1/9 हक हिस्सा तथा वादीगण नाथू पिता वगता डालीबाई व एलकीबाई पिता वगता का संयुक्त रूप 1/12,1/12,1/12 हक हिस्सा अनुसार खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वे वादीगण के कब्जेयाबी में दखल अन्दाजी न करे न करावे।

इस वाद के खर्चे....x... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...x... को दी जावे।

यह आज दिनांक 01.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक [illegible] [illegible] [illegible]ड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2022/106 दिनांक : 01.9.2022

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को [illegible] कर लेख है कि [illegible]तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.12.12 15:25:24 IST
Reason: SelfAttested